न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 557 / 2017

1. मुबारिक हुसैन पुत्र निजामुदीन
2. फयाजुदीन पुत्र निजामुदीन
3. अब्दुल गफार पुत्र भीखे खां
4. अब्दुल फारूक पुत्र निजामुदीन
5. शहनाज पुत्र कासम खां
6. कासम खां पुत्र अब्दुल रजाक
7. इस्लाउदीन पुत्र जबरूदीन
8. अबास पुत्र जबरूदीन
9. असलम पुत्र निजामुदीन
   जातियान मुसलमान बन्दुकसाज, निवासीगण ओसियां
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
10. सुमेरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
11. गणपतसिंह पत्रु लक्ष्मणसिंह
12. बाबुसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
    जातियान राजपूत, निवासीगण ओसियां
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. भंवरलाल पुत्र राधाकिशन
2. जगदीश पुत्र भंवरलाल
3. प्रदीप पुत्र भंवरलाल
4. पुष्पा पत्नी भंवरलाल
5. पार्वती पत्नी जगदीश
6. लीला पत्नी प्रदीप
   जातियान माहेश्वरी, निवासीगण मण्डोर रोड जोधपुर
   हाल निवासी आयकर कॉलोनी के पीछे, रिद्धि-सिद्धी भवन
   पावटा, जोधपुर
7. नारायण पत्नी अमोलकचन्द
8. मन्जु पत्नी श्यामसुन्दर
9. राजेन्द्र पुत्र अमोलकचन्द
10. ममता पत्नी राजेन्द्रकुमार
    जातियान माहेश्वरी, निवासीगण ओसियां
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

11. कन्हैयालाल पुत्र रामाकिशन जाति माहेश्वरी
    निवासी घेवडा, हाल ओसियां
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
12. मूलसिंह पुत्र मोतीसिंह
13. सुगनसिंह पुत्र मोतीसिंह
14. किशनसिंह पुत्र मोतीसिंह
15. सुखसिंह पुत्र मोतीसिंह
16. तुलछसिंह पुत्र मोतीसिंह
17. छोटुसिंह पुत्र मोतीसिंह
18. मनोहरसिंह पुत्र हनुमानसिंह
19. सज्जनसिंह पुत्र गोरखसिंह
    जातियान रावणा राजपूत, निवासीगण ओसियां
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
20. ओमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
21. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह
22. अन्जुकंवर पत्नी मोहनसिंह
23. रामुकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
24. भंवरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
25. सवाईसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
    जातियान राजपूत, निवासी ओसियां,
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
26. भागीरथराम पुत्र नारायणराम जाट,
    निवासी पण्डितजी की ढाणी, तहसील ओसियां,
    जिला जोधपुर
27. रेवतराम पुत्र दूदाराम
28. अचलाराम पुत्र दूदाराम
29. हरकु पत्नी देदाराम
    जातियान जाट, निवासीगण रिनिया,
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
30. रामुराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट,
    निवासी जाटीपुरा, तहसील ओसियां,
    जिला जोधपुर
31. गणेशराम पुत्र विशनाराम जाट,
    निवासी प्रतापनगर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

32. अब्दुल रजाक पुत्र भीखे खां जाति मुसलमान बन्दुकसाज,
निवासी ओसियां, तहसील ओसियां,
जिला जोधपुर
33. तहसील ओसिया, जिला जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 13 मई 2016 प्रकरण संख्या 151 / 2015 भंवरलाल व अन्य बनाम मूलसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री एम.एल.खत्री, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 व 2
रेस्पो. संख्या 33 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 08 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसिंया द्वारा प्रकरण संख्या 151 / 2015 भंवरलाल व अन्य बनाम मूलसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 मई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 11 की ओर से एक प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 1597 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 1594 रकबा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 1595 रकबा 1 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा वाके मौजा ओसिंया की पत्थरगड्डी करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 मई 2016 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थीगण कमलाकंवर, संजुकंवर व श्यामसिंह का देहान्त हो गया, किन्तु उनके कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन आदेश मृतक पक्षकारान के खिलाफ पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक प्रशासनिक आदेश की श्रेणी में आता है, कोई न्यायिक आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार 2 बीघा भूमि बाबत कब्जे का विवाद है, जिसका समाधान नियमित वाद के जरिये ही हो सकता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों, निर्धारिक न्यायिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जावे और अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये और न ही कोई जबाब पेश किया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश न्यायोचित पारित किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थीगण कमलाकंवर, संजुकंवर व श्यामसिंह का देहान्त हो जाने, उनके कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इन मृत पक्षकारान के खिलाफ पारित किये जाने का जो कथन अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा अपील स्तर पर किया गया है, उसका रेस्पो. की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसके अलावा विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण संख्या 11 व 13 का देहान्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही होना जाहिर करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 14 से 20 व 27 से 36 की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का लिखित निवेदन भी किया गया जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई गौर ही नहीं किया गया। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 मई 2016 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर